पत्रांक /आयु0क0उत्तरा0/विधि--अनुभाग/वाणि0कर/2011–12/देहरादून।

कार्यालय :– आयुक्त कर उत्तराखण्ड
(विधि–अनुभाग)
देहरादून :: दिनांक :: 20 :: दिसम्बर :: 2011

समस्त आहरण वितरण अधिकारी,
उत्तराखण्ड ।

वाणिज्य कर मुख्यालय के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि राज्य के विभिन्न सरकारी विभागो, निगमों/उपक्रमों के स्तर से निर्माण संविदा (Work Contract) के अन्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्य ठेकेदारों के माध्यम से सम्पादित कराये जाते हैं। इस प्रकार के निर्माण संविदा सम्बन्धी कार्यों के प्रतिफल के रूप में जो भुगतान ठेकेदारों को किया जाता है उस भुगतान पर भुगतान के स्रोत पर 4 प्रतिशत की दर से कर की कटौती तो की जा रही है किन्तु इसे वाणिज्य कर विभाग के खाते में चालान द्वारा जमा न करने सम्बन्धी मामले भी प्रकाश में आये हैं। इस सम्बन्ध में विधिक स्थिति स्पष्ट करते हुए यह अवगत कराना है कि निर्माण संविदा सम्बन्धी कार्यों के सम्बन्ध में ठेकेदारों को किये जाने वाले भुगतान पर 4 प्रतिशत की दर से भुगतान के स्रोत पर कर की कटौती करके वाणिज्य कर विभाग के सुसंगत खाता शीर्षक ''0040–वाणिज्य कर'' में चालान द्वारा अनुवर्ती माह के अन्तिम दिन तक जमा कराने की जिम्मेदारी भुगतान करने वाले व्यक्ति/प्राधिकारी की है। निर्धारित अवधि में भुगतान के स्रोत पर काटे गये कर को विभागीय खाते में चालान द्वारा जमा न करने पर मूल्य वर्धित कर अधिनियम–2005 की धारा 35 की उपधारा–8 के प्राविधानों के अन्तर्गत काटी जाने वाली रकम के दोगुने तक अर्थदण्ड आरोपित करने का प्राविधान है जिसकी वसूली भुगतान करने वाले व्यक्ति/प्राधिकारी से की जायेगी। निर्धारित अवधि के अन्तर्गत वाणिज्य कर विभाग के खाते में कटौती किये गये कर की धनराशि वाणिज्य कर विभाग के खाते में जमा न करने पर धारा 35 की उपधारा–9 के अन्तर्गत विलम्ब की अवधि के लिए 15 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज की भी देयता है। **कार्य संविदाकारों को भुगतान के समय TDS काटने हेतु TDAN आवंटित कराये जाने एवं वाणिज्य कर विभाग में रूपपत्र दाखिल करने के सम्बन्ध में लागू किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने सम्बन्धी विषय पर विस्तृत रूप से विधिक स्थिति का उल्लेख करते हुए निर्देश समस्त विभागाध्यक्षों, समस्त प्रभारी अर्द्ध सरकारी विभाग/समस्त प्रभारी स्थानीय निकाय प्राधिकरण उत्तराखण्ड को मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के स्तर से जारी पत्रांक 10/स.वि./2011 दिनांक 17 जनवरी 2011 द्वारा जारी किया जा चुके हैं। इन निर्देशों का अनुपालन कडाई से किया जाना अपेक्षित है।**

विषयगत प्रकरण में यह तथ्य भी संज्ञान में आया है कि सरकारी विभागो, निगमों/उपक्रमों के स्तर से विभिन्न प्रयोजनों हेतु विशुद्ध सप्लाई के रूप में जो सामान क्रय किया जाता है, उसके सम्बन्ध में भी सामग्री के बिलों से सम्बन्धित धनराशि का भुगतान करते समय भी भुगतान के स्रोत पर 4 प्रतिशत की दर से कटौती की जा रही है जो कि नियमानुकूल नहीं है। सरकारी विभागो, निगमों/उपक्रमों के स्तर से विभिन्न प्रयोजनों हेतु क्रय की जाने वाली सामग्री पंजीकृत व्यापारियों से किये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश पूर्व से ही विद्यमान हैं तथा ऐसी सामग्री की बिक्री राज्य सरकार के विभागो, निगमों/उपक्रमों को किये जाने पर कर वसूलने की

जिम्मेदारी तथा उसे जमा करने का दायित्व आपूर्तिकर्त्ता का है। आपूर्ति से सम्बन्धित जिन मामलों में भुगतान के स्रोत पर विधिक जानकारी के अभाव में की गयी कर की कटौती की Custodian राज्य सरकार है तथा पूर्व में भूलवश आपूर्ति के सम्बन्ध में भुगतान के स्रोत पर की गयी कर की कटौती की धनराशि को भी उपरोक्तानुसार वाणिज्य कर विभाग के खाते में चालान द्वारा जमा कराये जाने की आवश्यकता है। भविष्य में विशुद्ध आपूर्ति के संव्यवहारों पर भुगतान के स्रोत पर कर की कटौती न की जाय।

अधिक जानकारी के लिए निकटस्थ वाणिज्य कर कार्यालय से भी सम्पर्क किया जा सकता है तथा मुख्यालय से भी पूछताछ की जा सकती है। समस्त आहरण वितरण अधिकारियों के लिए टैक्स डिडेक्शन एकाउन्ट नम्बर (TDAN) भी वाणिज्य कर विभाग से प्राप्त किया जाना अनिवार्य है तथा आहरण वितरण अधिकारी यथाशीघ्र TDAN वाणिज्य कर विभाग से प्राप्त करना भी सुनिश्चित करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियम 21 में प्राविधानित फार्म–1**B** का प्रारूप संलग्न है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

(डॉ हेमलता ढ़ौंडियाल)
सचिव वित्त एवं आयुक्त कर
उत्तराखण्ड।

पृ0प0सं0 6969 व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1– अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय देहरादून।
3– सलाहकार वित्त (श्री थपलियाल जी)
4– समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालय अध्यक्ष उत्तराखण्ड।
5– समस्त प्रबन्ध निदेशक/निदेशक सरकारी निगम/उपक्रम उत्तराखण्ड।
6– एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, गढ़वाल जोन, देहरादून/कुमाऊँ जोन रूद्रपुर।
7– समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक), वाणिज्य कर उत्तराखण्ड को व्यापक प्रचार/प्रसार हेतु तथा अधीनस्थ अधिकारियों को जानकारी देने हेतु।
8– वरिष्ठ तकनीकी निदेशक एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर को विभागीय वैब–साइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
9– श्री अनुराग मिश्रा, डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर/Web Information officer वाणिज्य कर विभाग।
10– गार्ड फाइल मुख्यालय।

सचिव वित्त एवं आयुक्त कर
उत्तराखण्ड।